

इसे वेबसाईट www.govt_press_mp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 20, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2013 (अग्रहायण 20, 1935)

क्र. 21874-वि.स.-विधान-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती है :—

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसार राज्यपाल द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा का विघटन किये जाने के फलस्वरूप श्री अजय सिंह, सदस्य विधान सभा त्रयोदश मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता के पद पर दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 से नहीं रहे।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।